कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली

—:नौकाघाट की नीलामी की सूचना:—

जिला पंचायत, चन्दौली के प्रबन्धाधीन गंगा नदी पर स्थित निम्नलिखित नौका घाट वर्ष 2017—18 (दिनांक—01.04.2017 से दिनांक—30.09.2017 तक) की नीलामी / पट्टा की कार्यवाही नादर्न इण्डियन फेरिज़ एक्ट 1878 एवं शासनादेशानुसार दिनांक—13.04.2017 दिन में समय 12.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली मे की जायेगी। इच्छुक समितियां अपने समिति से सम्बन्धित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में जमा कर दे। सर्वप्रथम बोली मल्लाह जाति की रजिस्टर्ड सहकारी समितियों के बीच, तत्पश्चात् मल्लाह जाति के लोगों के बीच की जायेगी। समितियां / मल्लाह के न होने की दशा में सार्वजनिक नीलामी की जायेगी। जमानत की धनराशि गंगा नदी के प्रत्येक नौका घाट के लिए मु0 10000.00 (दस हजार) रू0 होगी। उच्चतम नीलामी स्वीकार करने का अधिकार आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी में निहित है। उच्चतम बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। धनराशि न जमा करने की दशा में जमानत धनराशि जब्त कर लिया जायेगा। तथा उक्त घाटों की नीलामी न होने की दशा में आगामी पांच बार प्रत्येक सप्ताह के बुद्धवार (कार्य दिवस) को होता रहेगा। अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी व पढ़ी जा सकती है। जिला पंचायत के बकायेदार बोली में भाग नही ले पायेगें।

1. गंगा नदी स्थित नौका घाट— कैली महड़ौरा, नरौली, फुलवरिया, अमादपुर।
अवधि 01.04.2017 से 30.09.2017 तक।

(अशोक कुमार मद्धेशिया)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, चन्दौली।

(सरिता सिंह)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चन्दौली।

पृ0सं0— 11 / जि0पं0चं0 / नौ0घा0 / 2017—18 तद्दिनांक—7-4-17

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली।
2. जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस अनुरोध के साथ कि उक्त नीलाम सूचना को जनपद के N.I.C. की वेब—साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र—दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना का विज्ञापन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रेषित करें।
5. समस्त कर निरीक्षक / कर समाहर्ता, जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ कि व्यापक प्रचार—प्रसार करायें।
6. जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।